



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102023-249742  
CG-DL-E-27102023-249742

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4518]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2023/कार्तिक 5, 1945

No. 4518]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4705(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालयको लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) विपिन पुरी, कुलपति, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊके स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेशके संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 28 सितंबर, 2020के का.आ. 3348 (अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितंबर, 2020की अधिसूचना सं. जेड-28016/170/2018-पीएमएसएसवाई. IV में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“धारा 4 के खंड (कक) के अंतर्गत सदस्य:

**"1. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय"**

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जे-28016/100/2023-पीएमएसएसवाई -IV]

अंकिता मिश्रा बूंदेला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th October, 2023

**S.O. 4705(E).**—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Vice Chancellor, University of Allahabad**, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Gorakhpur, Uttar Pradesh** in place of Lt. Col. (Dr.) BipinPuri, Vice Chancellor, King George's Medical University, Lucknow, and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Number Z-28016/170/2018-PMSSY-IV dated the 10<sup>th</sup> September, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 3348 (E) dated the 28<sup>th</sup> September, 2020:

In the said notification, for serial number 1 and the entry relating thereto, the following should be substituted, namely:-

“Member under clause (aa) of Section 4:

“1. **Vice Chancellor, University of Allahabad**”

The terms of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/100/2023-PMSSY-IV]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2023

**का.आ. 4706(अ).**—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, रायपुर को डॉ. नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर, कुलपति, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, रायपुर के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 10 जून, 2020 के का.आ. 1828 (अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना सं. जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई. IV में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“धारा 4 के खंड (कक) के अंतर्गत सदस्य:

“1. **कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, रायपुर**”

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जे-28016/100/2023-पीएमएसएसवाई -IV]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th October, 2023

**S.O. 4706(E).**—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Vice Chancellor, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Raipur**, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Raipur, Chhattisgarh** in place of Dr. Narayan Purushottam Dakshinkar, Vice Chancellor, Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Raipur, and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare,

Number Z-28016/177/2019-PMSSY-IV dated the 18<sup>th</sup> May, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 1828 (E) dated the 10<sup>th</sup> June, 2020:

In the said notification, for serial number 1 and the entry relating thereto, the following should be substituted, namely:-

“Member under clause (aa) of Section 4:

“1. **Vice Chancellor, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Raipur**”

The terms of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/100/2023-PMSSY-IV]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.